परिशिष्ट : ए

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

उपस्थित : मनोज कुमार तिवारी,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
निर्णय की तिथिः–14.05.2026
सत्र वाद संख्या : 56 / 2025
जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–01 / 2014
CNR- BRVA01-001231-2025

Web Copy not Official

अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक	श्री श्यामबाबू राय
अभियुक्त	1–नवल राय, पे0–स्व0 रामजी राय, साकिन– काला दियर वार्ड नं0–04, थाना–सालिमपुर जिला–पटना।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता	1. श्री कुमार गौरव

अपराध की घटना तिथि	01.01.2014
प्राथमिकी की तिथि	02.01.2014
आरोप पत्र की तिथि	31.12.2018
संज्ञान की तिथि	05.02.2024
आरोप गठन की तिथि	07.01.2026
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	20.01.2026
निर्णय पर नियत की तिथि	07.05.2026
निर्णय की तिथि	14.05.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	-------

परिशिष्ट : बी

अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त का कमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	नवल राय,
गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	10.02.2024
जमानत पर मुक्त की तिथि	काराधीन
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307 / 34, 302 / 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त

दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	02 वर्ष 03 माह 04 दिन

Web Copy not Official

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–01	जर्नादन शाह	साक्षी
पी0डब्लू0–02	राजन राय	साक्षी
पी0डब्लू0–03	अशोक राय	साक्षी
पी0डब्लू0–04	राजेन्द्र राय	साक्षी
पी0डब्लू0–05	उमेश राय	(पक्षद्रोही) साक्षी
पी0डब्लू0–06	संजय राय	(पक्षद्रोही) साक्षी
पी0डब्लू0–07	रंधीर कुमार भट्ट	अनुसंधानकर्त्ता पदाधिकारी
पी0डब्लू0–08	मिश्रीलाल यादव	सेवानिवृत्त बिहार पुलिस

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

01	प्रदर्श–01	स्वलिखित आवेदन
02	प्रदर्श–02	औपचारिक प्राथमिकी
03	प्रदर्श–03	पु0अ0नि0 अनिल कुमार का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट
04	प्रदर्श–04	सुधीर सिंह का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट
05	प्रदर्श–05	जप्ती सूची
06	प्रदर्श–06	आरोप–पत्र

Web copy not Official

ख–बचाव पक्ष

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय प्रदर्श

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
Nil	Nil	Nil

घ–वस्तु प्रदर्श

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
Nil	Nil	Nil

उपस्थित : **मनोज कुमार तिवारी,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।

नि र्ण य

1. उपरोक्त नामित एक मात्र काराधीन अभियुक्त का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307/34, 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, सूचक दिनांक–01.01.2014 को समय करीब 5:30 बजे जुड़ावनपुर थाना के बारन्डा पर बैठकर काम कर रहे थे और उनके साथ स0अ0नि0 सुशील पासवान भी थाना सिरीता का कार्य कर रहे थे। इसी बीच श्रीकांत राय अपने तीन आदमी के साथ गाड़ी नं0–डी0एल0–3सी0जे0–5917 उजला रंग का सोमो से आये और अपनी गाड़ी को थाना से कुछ दूरी पर मैदान में लगा दिये और स्वयं उतरकर थानाध्यक्ष से किसी विवाद के संबंध में बात करने लगे। इसी बीच सुधीर सिंह भी

तीन–चार आदमी के साथ थाना पर आये और थानाध्यक्ष के सामने ही श्रीकांत मुखिया के साथ बाताबाती होने लगी और दोनों एक दूसरे से गाली–गलौज भी करने लगे, जिसमें थानाध्यक्ष दोनों को शांत कराते हुए एवं समझाते–बुझाते थाना से बाहर फिल्ड में लगी गाड़ी के निकट तक हटा दिये, परन्तु दोनों पक्ष के लोग पुनः बाताबाती करते हुए एक दूसरे से धक्का–मुक्की करने लगे। स्थिति को तनावपूर्ण देखकर थानाध्यक्ष एवं अपने पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी के साथ दोनों पक्षों को समझा–बुझाकर पुनः हटाने लगे, लेकिन दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से उलझ गये। इसी बीच श्रीकांत राय के साथ आये आदमी राम इसलोग राय, कमलेश्वरी राय अपने–अपने हाथ में लिये हुए राईफल के साथ एवं नवल राय के सभी श्रीकांत राय के आदेश पर गोली चलाने लगे, जिससे सुधीर सिंह एवं थानाध्यक्ष अनिल कुमार गोली लगने से बुरी तरह जख्मी होकर गिर गये और श्रीकांत राय और उसके साथ के आदमी गोली चलाते हुए थाना के पीछे होकर भागने लगा, जिसे थाना के पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी पकड़ने हेतु पीछा किया, परन्तु अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गये। सूचक तथा अन्य उपस्थित पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों जख्मी को इलाज हेतु पी0एम0सी0एच0 लेकर चले। जख्मी हालत में थानाध्यक्ष गाड़ी पर चढ़ाने के समय बोल रहे थे कि श्रीकांत राय गोली मरवा दिया। उपरोक्त दोनों जख्मी को लेकर पी0एम0सी0एच0 पटना पहुंचे और दोनों गंभीर जख्मी को इमरजेंसी में भर्त्ती कराये, जहां चिकित्सकों ने जख्मी सुधीर सिंह को मृत घोषित कर दिये और थानाध्यक्ष का इलाज होने लगा परन्तु कुछ समय बाद चिकित्सकों द्वारा अनिल कुमार थानाध्यक्ष जुड़ावनपुर को मृत घोषित कर दिया। गोली चलने के क्रम में स्थानीय नेपाली सिंह भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज पी0एम0सी0एच0 में चल रहा है।

3. सूचक के लिखित आवेदन पर दर्ज जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–01/2014, दिनांक–02.01.2014, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307/34, 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अनुसंधानक द्वारा काण्ड सत्य पाते हुये विचारित एकमात्र काराधीन अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र सं0–158/2018, दिनांक–31.12.2018 समर्पित किया गया है।

4. समर्पित आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी पर सम्यक विचारोपरान्त इस मामले के विचारित उपरोक्त एक मात्र काराधीन अभियुक्त के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307, 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, दिनांक–05.02.2024 को संज्ञान लिया गया है तथा दिनांक–16.12.2024 को यह मामला विचारणार्थ सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है।

5. विचारित एक मात्र काराधीन अभियुक्त के विरूद्व दिनांक–07.01.2026 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307/34, 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप का

Web copy not official

गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसका वह प्रत्याख्यान करते हुये विचारण का दावा किया।

6. अभियोजन की तरफ से इस मामले में कुल 08 साक्षियों का गवाही करायी गई है, जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–01 जर्नादन शाह (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–02 राजन राय (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–03 अशोक राय (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–04 राजेन्द्र राय (साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–05 उमेश राय (पक्षद्रोही साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–06 संजय राय (पक्षद्रोही साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–07 रंधीर कुमार भट्‌ट (अनुसंधानकर्त्ता साक्षी) एवं अभियोजन साक्षी सं0–08 मिश्रीलाल यादव (सेवानिवृत्त बिहार पुलिस साक्षी) हैं।

Web copy not Official

7. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत विलेखिय दस्तावेजी साक्ष्य कुल 06 प्रदर्श प्रस्तुत किया गया है।

8. अभियोजन साक्ष्य बंद कर एक मात्र काराधीन अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत दिनांक–04.05.2026 को लिया गया, जिसमें वह अपने को निर्दोष बताते हुये कहा है कि अभियोजन का मामला झूठा है।

9. प्रतिरक्षा की तरफ से इस मामले में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारित एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं ?

म न्त व्य

11. अभियोजन की तरफ से अभियुक्तगण के विरूद्व इस मामले में विरचित आरोपों को साबित किये जाने हेतु जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उनमें **अभियोजन साक्षी सं0–01 जर्नादन शाह, (29.01.2026)** अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक–01.01. 2014 को 05:30 बजे संध्या की है, उस समय मैं थाना के बगल में सब्जी लाने गया था। थाना पर हल्ला हुआ, उस हल्ला पर मैं वहां गया तो देखा कि मुखिया जी दरोगा जी से मिलने चैम्बर में गये, उसके बाद कुछ देरी बाद देखा कि सुधीर सिंह अन्य 2–4 आदमी से आये फिर से वे चैम्बर में गये और हल्ला गुल्ला होने लगा, बड़ा बाबू दोनों आदमी को लेकर बाहर आये। सुधीर सिंह और उसके साथी के हाथ में बंदूक, राईफल था। उस

समय गोली चलने लगा, गोली बड़ा बाबू और सुधीर सिंह को लगा। दोनों जख्मी को पी0एम0सी0एच0 पटना ले जाया जा रहा था तो सुधीर सिंह और बड़ा बाबू की मृत्यु हो गयी। अनुसंधानकर्ता के समक्ष मेरा बयान हुआ था। काराधीन अभियुक्त नवल राय को कारा से प्रस्तुत किया गया, जिसे साक्षी ने देखकर पहचानने से इंकार किया।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–04 में इस साक्षी ने बताया है कि घटना के समय थाना परिसर में नवल राय उपस्थित नहीं था।

12. **अभियोजन साक्षी सं0–02 राजन राय (02.02.2026)** ने अपने साक्ष्य में बताया है कि यह घटना वर्ष 2014 को 01 जनवरी की है, समय 05:30 बजे की है। उस समय मैं थाना के बगल में अपने चाय के दुकान पर था। थाना पर हल्ला हुआ तब मैं वहां पर गया तो देखा कि सुधीर सिंह एवं बड़ा बाबू तथा मुखिया जी अंदर गये और हल्ला करते हुए बाहर निकले। गोलीबारी हुई जिसमें गोली बड़ा बाबू एवं सुधीर सिंह को लग गया। गोली नेपाली सिंह को भी लगी थी। जख्मियों को उठाकर डॉक्टर साहेब के पास ले जाया गया। अनुसंधानकर्ता के समक्ष मेरा बयान हुआ था। काराधीन अभियुक्त नवल राय को कारा से प्रस्तुत किया गया, जिसे साक्षी ने देखकर पहचानने से इंकार किया।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–04 में इस साक्षी ने बताया है कि आज जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, वह घटना तिथि व समय को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

Web copy not official

13. **अभियोजन साक्षी सं0–03 अशोक राय (02.02.2026)** ने अपने साक्ष्य में बताया है कि यह घटना 01 जनवरी 2014 की है, उस समय 05:30 बज रही थी। उस समय मैं थाना के बगल में अपने पान के दुकान पर था, तब हल्ला सुनकर वहां पर गया तो देखा कि मुखिया जी अपने वाहन से आये और चैम्बर में गये कुछ देर के बाद सुधीर सिंह अपने साथियों के साथ बड़ा बाबू के चैम्बर में गये, इसके बाद हल्ला होने लगा। बड़ा बाबू दोनों आदमी को चैम्बर से बाहर किये उसके बाद गोली चलने लगा, जिस कारण गोली बड़ा बाबू और सुधीर सिंह एवं नेपाली को लगा। तीनों जख्मियों को उठाकर पी0एम0सी0एच0 ले जाया गया। सुधीर सिंह का घर थाना के बगल में है। करीब 100 आदमी की संख्या में पूरे गॉव के आदमी आये और थाना पर हल्ला होने लगा। थाना में आग लगा दिया और सामानों को तोड़–फोड़ कर दिया गया तथा पुलिस का राईफल भी छीन लिया गया। अनुसंधानकर्ता के समक्ष मेरा बयान हुआ था। काराधीन अभियुक्त नवल राय को कारा से प्रस्तुत किया गया, जिसे साक्षी ने देखकर पहचानने से इंकार किये।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–04 में इस साक्षी ने बताया है कि आज जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, वह घटना तिथि व समय को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

14. **अभियोजन साक्षी सं0–04 राजेन्द्र राय (07.02.2026)** ने अपने साक्ष्य में बताया है कि यह घटना 01 जनवरी 2014 की है, उस समय 05:30 बज रही थी। उस समय मैं बाजार में था तब हल्ला सुनकर वहां पर गया तो देखा कि मुखिया जी अपने वाहन से आये और चैम्बर में गये कुछ देर के बाद सुधीर सिंह अपने साथियों के साथ बड़ा बाबू के चैम्बर में गये, इसके बाद हल्ला होने लगा। बड़ा बाबू दोनों आदमी को चैम्बर से बाहर किये, उसके बाद गोली चलने लगा, जिस कारण गोली बड़ा बाबू और सुधीर सिंह एवं नेपाली को लगा। तीनों जख्मियों को उठाकर पी0एम0सी0एच0 ले जाया गया। अनुसंधानकर्ता के समक्ष मेरा बयान हुआ था। काराधीन अभियुक्त नवल राय को कारा से प्रस्तुत किया गया, जिसे साक्षी ने देखकर पहचानने से इंकार किये।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–04 में इस साक्षी ने बताया है कि आज जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, वह घटना तिथि व समय को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

Web Copy not Official

15. **अभियोजन साक्षी सं0–05 उमेश राय (16.02.2026)** (पक्षद्रोही) साक्षी अपने साक्ष्य में कहा हैं कि, यह घटना 01 जनवरी, 2014 की है, समय–5:30–6:00 बजे शाम की है। उस समय मैं अपने गाय का दवा लेने के लिए चौक पर गया था। मेरा घर थाना के नजदीक ही है। थाना के परिसर में हल्ला हुआ तो मैं वहां पर गया तो देखा कि कुछ लोग आये और बड़ा बाबू से बात करने लगे। सुधीर सिंह, सुबोध सिंह और 4–5 आदमी थे। बातचीत में हल्ला–गुल्ला होने लगा। वाद–विवाद बढ़ा और गोली चला, जिस कारण बड़ा बाबू की मृत्यु हो गयी। तोड़फोड़ हुआ तथा गाड़ी में आग लगा दिया। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–06 में इस साक्षी ने बताया है कि आज जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, वह घटना तिथि व समय को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

16. **अभियोजन साक्षी सं0–06 संजय राय (19.02.2026)** (पक्षद्रोही) साक्षी अपने साक्ष्य में कहा हैं कि, घटना वर्ष 2014 की समय करीब 5:30 बजे की है। घटना के समय जुड़ावनपुर थाना पर हल्ला हुआ तो गये तब देखा कि कुछ लोग आये और बड़ा बाबू के चैम्बर में गये उसके बाद सुधीर सिंह 3–4 आदमी से आये और बड़ा बाबू के चैम्बर में गये। बड़ा बाबू सभी को चैम्बर से निकाले। हल्ला होने लगा और गोली फायरिंग हुआ, जिस कारण बड़ा बाबू, सुधीर सिंह एवं नेपाली को गोली लग गयी। बाद में पता चला कि बड़ा बाबू और सुधीर सिंह की मृत्यु हो गयी है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–06 में इस साक्षी ने बताया है कि आज जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, वह घटना तिथि व समय को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

17. **अभियोजन साक्षी सं0–07 रंधीर कुमार भट्ट (17.03.2026)** ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक–02.01.2014 को जुड़ावनपुर थाना में थानाध्यक्ष के पद पर योगदान दिया था, उसी दिन पु0अ0नि0 जावेद कासिम का स्वलिखित बयान मिला था जिसके आधार पर मैंने जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–01 / 2014 दिनांक–02.01.2014 धारा–307, 302 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया था, जो पृष्ठांकन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, स्वलिखित आवेदन जावेद कासिम के लिखावट में है, मैं उनके लिखावट को पहचानता हूँ, संपूर्ण बयान को जिसे प्रदर्श–01 अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी मेरे द्वारा तैयार किया गया, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श–02 अंकित किया जाता हैं। इस कांड के अनुसंधान का भार स्वयं ग्रहण किये, इसके पश्चात् कांड के दोनों मृतक पु0अ0नि0 अनिल कुमार एवं सुधीर सिंह के मृत्यु रिपोर्ट समीक्षा जो अनुरूद्ध प्रसाद, अवर निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है, जिसे मैं पहचानता हूँ, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को क्रमशः प्रदर्श–03 एवं 04 अंकित किया जाता है। वादी पु0अ0नि0 जावेद कासिम का पुनः बयान एवं साक्षी सुशील पासवान स0अ0नि0, हवलदार मिश्री लाल यादव, शिवचन्द्र सिंह, का बयान लिये। ये सभी प्राथमिकी का समर्थन किये। इस कांड के घटनास्थल का निरीक्षण किये– घटनास्थल का चौहद्दी उतर में ठाकुर रामशरण सिंह का प्रांगण बाद ग्रामीण कृष्णा सिंह का मार्केट है, दक्षिण में थाना परिसर बाद विद्यालय का पुराना टूटा हुआ खपरैल भवन बाद ग्रामीण विश्राम सिंह का गेंहू लगा खेत है, पूरब में विद्यालय प्रांगण के बाद विद्यालय का पक्का भवन है और पश्चिम में थाना का चापाकल बाद उतर–पश्चिम रूख का खुला रास्ता एवं उसके बाद थाना का शौचालय एवं सैफ बल का बैरक है। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष का कमरा में रखा गया सामान टूटा–फूटा स्थित में तितर–वितर पाया गया तथा थानाभवन से करीब 25 गज पूरब एक उजला रंग की सोमो गाड़ी नं0–डी0एल0–3सी0जे0 –5917 जली हुई अवस्था में पाया गया, जिसके आसपास कई जगह खून लगा मिट्टी पाया गया तथा जली हुई गाड़ी के आसपास से राईफल की गोली का चार खोखा पाया गया, खोखा का जब्ती सूची बनाये जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जप्ती सूची को प्रदर्श–05 अंकित किया जाता है। अनुसंधान के दौरान ही एफ0एस0एल0 के टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से प्राप्त एवं जब्त प्रदर्श को चार अलग–अलग प्लास्टिक के पैकेट में कागज में लपेटकर मुझे सौंपा गया। इसके बाद साक्षी शिवपूजन सिंह, सुबोध सिंह, राहुल कुमार का बयान लिया, जिन्होंने घटना का समर्थन किये। इस कांड के प्राथमिक नामजद अभियुक्तों के घर पर बारी–बारी से छापामारी किया किंतु सभी फरार पाये गये। ग्राम बरारी एवं ग्राम कालादिया में कांड के आलोक में गुप्तचर

Web copy not official

तैनात किया। अनुसंधान के दौरान ही प्राथमिकी अभियुक्त श्रीकांत राय के ग्राम–बरारी स्थित घर एवं पटना स्थित किराये का मकान, रामश्लोक राय, कमलेश्वरी राय के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई किया गया। इस कांड के संबंधित पर्यवेक्षण टिप्पणी अनु0 पु0 पदा0 सदर का प्राप्त किया, दिये गये निर्देशों का पालन किया, पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन–02 प्राप्त किये। इस कांड में जख्मी बलिराम सिंह उर्फ नेपाली सिंह का बयान लिया जो घटना का समर्थन किये। पी0एम0सी0एच0 पटना से इस कांड के मृतक अनिल कुमार एवं सुधीर सिंह के बदन से पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक द्वारा निकाला गया प्रदर्श प्राप्त किया, जिसे कंडिका–108 में अंकित किये। दोनों मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर कंडिका–110 में अंकित किया। श्रीकांत राय को पुलिस द्वारा पकड़ने द्वारा ओ0क्षे0 थाना में रखने का सूचना प्राप्त के आलोक में ओ0क्षे0 थाना हाजीपुर जाकर प्राथमिकी अभियुक्त श्रीकांत राय का स्वीकारोक्ति बयान लिया। सी0सी0ए0 की धारा–12डी में हाजीपुर मंडल कारा में बंद श्रीकांत राय को इस कांड में रिमाण्ड किया। इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त नवल राय के ग्राम काला दियर स्थित उनके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई किया। इस कांड में जब्त प्रदर्शों को जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना को भेजा, जो कंडिका–160 में अंकित है, इसका जॉच प्रतिवेदन कांड दैनिकी के साथ संलग्न है। साक्षी उमेश राय, राजन राय, अशोक राय, जनार्धन राय, संजय राय, राजेन्द्र राय का बयान लिया, जो घटना का समर्थन किये। कांड में पुलिस अधीक्षक वैशाली का प्रतिवेदन–03 प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में तथा अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी अभियुक्त नवल के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–158/18 दिनांक–31.12.2018 धारा–302, 307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत समर्पित किया, आरोप पत्र सं0–158/18 को प्रदर्श–06 अंकित किया जाता है।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–05, 06, 07 एवं 08 में इस साक्षी ने बताया है कि मुझे अपने अनुसंधान के दौरान में नवल सिंह के विरूद्ध इस कांड से संबंधित कोई भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था जैसे की वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान की वस्तु बरामद नहीं हुई थी। यह कहना सत्य है कि सुबोध सिंह ने अपने बयान में कहा कि दिनांक–01.01.2014 को संध्या में यह अपने घर पर थे तो इन्हें सूचना मिला कि इनका भाई सुधीर सिंह को थाना के पास गोली लगी है, जिसपर वह तुरंत थाना के पास आए तो देखे कि वहां पर एक उजला रंग की सोमो गाड़ी खड़ी थी और उसके बगल में इनका भाई एवं थाना के बड़ा बाबू जख्मी अवस्था में गिरे हुए थे। साक्षी राहुल कुमार ने भी सुबोध सिंह के बात को दोहराया। साक्षी बलराम सिंह उर्फ नेपाली सिंह जो इस कांड में जख्मी थे, उन्होंने किसी भी अभियुक्त के संदर्भ या गोली चलाने वाले के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के कंडिका–06 में किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस कांड को कारित करने का कोई आरोप नहीं लगाया। मुदई पक्ष के लोगों के द्वारा थाना पर हंगामा किया था और तोड़फोड़ एवं आगजनी किया था जिस संबंध में इनलोगों के विरूद्ध जुड़ावनपुर थाना कांड सं0–02/14 अंकित किया गया

Web copy not official

था। नवल सिंह के विरूद्ध मेरे अनुसंधान के दौरान हमें कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ था।

18. **अभियोजन साक्षी सं0—08 मिश्रीलाल यादव (23.03.2026)** ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक—02.01.2014 को जुड़ावनपुर थाना में हवलदार के पद पर पदस्थापित था। उस समय अनिल कुमार थानाध्यक्ष थे। संध्या में 05:30 बजे की घटना थी, उस समय भूतपूर्व मुखिया श्रीकांत राय सूमो गाड़ी से थाना पर आये और गाड़ी मैदान में लगाकर थानाध्यक्ष से बात करने लगे, उसके बाद सुधीर कुमार सिंह हथियार के साथ थाना पर आये और फिर श्रीकांत राय एवं सुधीर कुमार के बीच आपस में बकझक होने लगा, उसके बाद थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बीच—बचाव कर बाहर लाये और बोले कि अपने अपने घर जाईए। वे लोग बात नहीं माने और झगड़ा बढ़ गया तथा गोली चल गयी जिसमें सुधीर कुमार सिंह थानाध्यक्ष, अनिल कुमार को गोली लगी। हल्ला होने पर भीड़ जुट गयी, नेपाली मंडल को भी गोली लगा। इनलोगों का ईलाज के लिए फतहपुर गया वहां पर अस्पताल बंद था तो पी0एम0सी0एच0 ले गये। ईलाज के दौरान सुधीर सिंह को मृत घोषित कर दिया गया बाद में थानाध्यक्ष अनिल कुमार की भी मृत्यु हो गयी। मैं मुदालह को नहीं पहचानता हूँ। आज न्यायालय में नवल सिंह उपस्थित है, जिसे साक्षी ने देखकर पहचानने से इंकार किया।

Web Copy not Official

प्रति—परिक्षण की कंडिका—03 में इस साक्षी ने बताया है कि दिनांक—02.01.2014 को मैं थाना पर उपस्थित था। थाना पर सुधीर सिंह का समर्थक जुट गए थे और हल्ला गुल्ला होने लगा था। भीड़ काफी ज्यादा थी, जिस कारण मैंने यह नहीं देखा कि गोली किसने चलाया था। सुधीर सिंह के समर्थक हल्ला—गुल्ला करने लगे थे, जिसको लेकर जुड़ावनपुर थाना कांड सं0—02/2014 दर्ज किया गया था।

19. उभय पक्षों का बहस सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है और प्राथमिकी से भी स्पष्ट है कि अभियुक्तों ने गोली चलाने एवं मारपीट की घटना की थी। अतः अभियुक्त दोष—सिद्ध किये जाने के अधिकारी हैं।

इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल आठ साक्षियों में से दो साक्षी पक्षद्रोही साक्षी हैं एवं सूचक पु0अ0नि0 जावेद कासिम कभी भी साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

20. अभियोजन द्वारा कुल आठ साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें कि अभियोजन साक्षी सं0—07 रंधीर कुमार भट्ट, अनुसंधानकर्ता हैं, जिन्होंने पुलिस अवर निरीक्षक, जावेद कासिम सूचक के स्वलिखित प्राथमिकी को प्रदर्श कराया है, परन्तु सूचक जावेद कासिम न तो इस विचारण में सभी प्रक्रियाओं के बावजूद साक्ष्य के लिए उपस्थित

हुए और ना ही इसी थाना कांड संख्या से उत्पन्न सत्र वाद विचारण सं0–405/2025 व सत्र वाद विचारण सं0–210/2017 में साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए। जहां तक अन्य साक्षियों के साक्ष्य का प्रश्न हैं, सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है एवं स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना में बड़ा बाबू थानाध्यक्ष, अनिल कुमार एवं सुधीर सिंह को गोली लगने की बात कही है और यह भी बात कही है कि पश्चात् में पी0एम0सी0एच0 पटना में दोनों की मृत्यु हो गयी है। यहां पर सभी साक्षियों ने घटना को तो सत्य बताया है, परन्तु विचारित अभियुक्त नवल राय के बारे में अपने प्रति–परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना तिथि व समय को अभियुक्त नवल राय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। इस बिन्दु पर कि अभियुक्त नवल राय घटना पर अनुपस्थित था, अभियोजन द्वारा विरोध भी दर्ज नहीं कराया गया और ना ही पुनः परीक्षण कराने की आवश्यकता अभियोजन द्वारा महसूस की गयी। यद्यपि कि प्राथमिकी में अभियुक्त नवल राय के उपस्थित होने की बात कही गयी है परन्तु जब सूचक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ और किसी साक्षी ने यह नहीं कहा कि वह घटनास्थल पर उपस्थित था तो अभियुक्त को केवल प्राथमिकी के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता और वह भी तब जबकि अनुसंधानकर्ता ने भी स्वीकार किया है कि उसने अपने अनुसंधान के दौरान नवल राय के विरूद्ध कोई भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं किया था। अतः अभियुक्त दोष–मुक्त किये जाने का अधिकारी है।

Web copy not official

आदेश

21. अतः एक मात्र काराधीन अभियुक्त : **01. नवल राय,** पे0–स्व0 रामजी राय, साकिन–काला दियर, थाना–सालिमपुर, जिला–पटना को उनपर लगाए गए भारतीय दण्ड संहिता की **धारा–307/34, 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट** से उन्हें निर्दोष पाकर दोष मुक्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त नवल राय का अविलंब अभिरक्षा से मुक्ति के लिए मुक्ति आदेश निर्गत करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
14.05.2026

लेखापित

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
14.05.2026

Date of Judgment/Order	14-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	07-05-2026
Uploading Date	15-05-2026
Uploaded by	Anand Kumar

Web Copy not Official